

न्यायालय
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

A-384
II-103
पारीख
हुक्म

सूक्त्यं वनाम काली

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियत्य जज
५.२५ ११/०८/२३ रादि. - २०२३
२२/०३/२३ २८६

3-11

२०१५
वकील वादी/वकुलाय उप०/बार का कार्य
व्यग्न है। पीठासीन अधिकारी अन्य
प्रशासनिक कार्य में व्यस्त होने के कारण
एत्रावली दिनांक...३१/१५...को पेश हो।

रीडर

३१/१५

पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलांत ल्यं
अपीलांत अनुपास्थित। आवाप लगवाई
गई। इंतजार में रखा गया। कोई
उपास्थित नहीं। कुंता ३ बार आवाप
लगवाई गई। इंतजार में रखा
गया। वकील अपीलांत ल्यं अपीलांत
अनुपास्थित। अंतरिम आवाप ५ बजे
लगवाई गई। कोई उपास्थित नहीं।
शेकी स्थिति में पत्रावली पर कार्यवाही
किया जाना संभव नहीं है। पत्रावली
असक खाफिनी। पेशी में खारिज की
जानी है। पत्रावली फेलान्त वगुमार
होकर नम्बर से कम थी। बाद
तकभीतु तभीतु पत्रावली जमा
लेख भण्डार थे।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)